प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.06.2024

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा लूट करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1,03,500/- रूपये, घटना में प्रयुक्त, ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल व दो मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 21.06.2024 को वादी श्री अमरजीत पुत्र श्री शंकर निवासी रविदासनगर शिब्बनपुरा गाजियाबाद ने थाना सिहानीगेट पर सूचना दी कि ई-रिक्शा चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर उसके 1,03,500/ रूपये लूट लिए। उपरोक्त सूचना पर थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आस पास के सी0सी0टी0वी0 के फुटेज /मोबाइल सर्विलांस तथा लोकल इनपुट, मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1.रवि 2.विवेक 3.अमन को आरडीसी से रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया ।अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण---पूछताछ पर अभियुक्त रवि ने बताया कि मैं पेन्ट के ठेकेदार अमरजीत को पहले से जानता हूँ। मुझे जानकारी थी कि अमरजीत पैसे लेकर आयेगा। मैंने अमरजीत व उसके साथी को ठेके पर ले जाकर शराब पिला कर नशे में कर दिया था बाद में मैने बहाना बनाकर ई-रिक्शा को महिन्द्रा शोरुम के पास ले जाकर सुनसान जगह पर रोक कर योजना के तहत मैंने ठेकेदार को बातों में लगा लिया। ई-रिक्शा में बैठे अमरजीत के हाथ में रुपये से भरा थैला था तो विवेक व अमन बाइक से आये और अमन ने बाइक से उतर के ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति से बैग छीन कर बाइक पर बैठकर भाग गये थे और फिर हम तीनों ने लूट किए रुपये आपस में बांट लिए थे।

अभियुक्तगण का नाम पता

1.रवि पुत्र मूलचन्द निवासी म0नं0 118, रविदासनगर, शिब्बनपुरा, पटेलनगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

2.विवेक पुत्र विजयपाल निवासी म0नं0 46 गली नं0 3 रविदासनगर शिब्बनपुरा पटेलनगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

3.अमन पुत्र सत्यप्रकाश निवासी रविदासनगर शिब्बनपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

बरामदगी विवरणः-

1- लूटे गए 1,03,500/- रूपये नगद

2- घटना में प्रयुक्त एक ई-रिक्शा, एक मोटरसाइकिल।

3- दो मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिट टीम

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा लूट व चोरी की घटना कारित करने वाले 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे/निशादेही पर लूटी गई एक मोटरसाइकिल व चोरी की एक स्कूटी बरामद ।

दिनांक 04-06-2024 को थाना निवाड़ी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लड़के मुझसे 7000/- हजार रुपये व मोटरसाइकिल छीनकर ले गये है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना निवाड़ी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीमें लगाई गईं। तत्पश्चात दिनांक 09.06.2024 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण कर प्रकाश में आये अभियुक्त कपिल वर्मा पुत्र किशन वर्मा निवासी बी ब्लाक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को लूट/चोरी की घटनाओं से संबंधित चोरी की एक मोटरसाइकिल पल्सर, लूट का एक मोबाइल ओप्पो तथा संदिग्ध चोरी की एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा इसके फरार साथी की तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 21.06.2024 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया, जिसके कब्जे/निशादेही पर थाना निवाड़ी क्षेत्र से लूटी गयी 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर व थाना मुरादनगर क्षेत्र से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर बाल अपचारी उपरोक्त ने बताया कि मैंने अपने साथी कपिल वर्मा के साथ मिलकर कुछ दिनों पहले गंगनहर पटरी रेगुलेटर पर एक व्यक्ति से 07 हजार रुपये और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर छीने थे। मेरे हिस्से में ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आयी थी व जो रुपये मेरे हिस्से में आये थे उनको मैंने खर्च कर लिया है तथा एक स्कूटी मैंने व कपिल वर्मा ने थाना मुरादनगर से चोरी की थी। घटना के समय मेरे पास एक पिस्टलनुमा खिलौना था जिसे दिखाकर मैं लोगों को डराता था, वह मैंने नहर में फैंक दिया है।

बरामदगी का विवरण

थाना निवाड़ी क्षेत्र से लूटी गयी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर व थाना मुरादनगर क्षेत्र से चोरी की गयी एक स्कूटी बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना निवाड़ी व थाना मुरादनगर पर बाल अपचारी के विरुद्ध लूट, चोरी व माल बरामदगी के संबंध में कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम

थाना निवाड़ी पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी पीली धातु की चैन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 20-06-24 को वादिया श्रीमती दिपाली पत्नि अंकित निवासी फ्लेट न0- 26A 614 रिवर हाईट सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने थाना नन्दग्राम पर सूचना दी कि जब मैं स्कूटी सीखने गयी थी, तो दो व्यक्ति एक लड़का व लड़की काली पल्सर बाइक से आये और मेरे गले से सोने की चैन छीनकर ले गये। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 21-6-24 को चेकिंग के दौरान मुखिबर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण जिनमें से मुख्य अभियुक्त आकाश कुमार को गढ़ी सिकरोड गाँव के गेट के पास व सह अभियुक्त आनन्द व साथी महिला अभियुक्ता को साँई फार्म हाउस मोरटी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता-

(1) आकाश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम इकला पोस्ट मोदीपुरम जिला मेरठ हाल पता- नरेन्द्र का किराये का मकान ग्राम सिकरोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

(2) आनन्द पुत्र लखीराम निवासी ग्राम रटौल जिला बागपत, हाल पता- राकेश का किराये का मकान ग्राम मोरटी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

(3) अभियुक्ता

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ में अभि0 ने बताया कि आकाश कुमार उपरोक्त वादिया श्रीमती दिपाली को स्कूटी सिखाने का काम करता था, दिपाली गले में एक सोने की चैन पहनती थी, जिसके बारे में आकाश को पता चल गया। आकाश ने अपने साथी आनन्द व महिला साथी के साथ मिलकर योजना बनाई कि दिपाली को मैं रात्रि के अन्धेरे में स्कूटी सिखाने के नाम पर सुनसान स्टेडियम रोड पर लेकर जाऊंगा, जहां तुम पीछे से आना और चैन छीनकर ले जाना।

बरामदगी का विवरण—

एक पीली धातु की चैन

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार कब्जे से लूटा गया 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

घटना का विवरण:- दिनांक 21.06.2024 को वादी रतन सिंह पुत्र मेघनाथ सिंह निवासी महेन्द्रा एन्कलेव शास्त्रीनगर गाजियाबाद द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मोबाईल फोन को छीन कर ले जाने सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक पुत्र मुकेश नि0 एस-सी-23 संजय नगर फ्री हॉल थाना बापूधाम कमि0 गाजियाबाद , उम्र 25 वर्ष 2. मोहित कश्यप पुत्र जय भगवान नि0 जी-11 महेन्द्रा इन्कलेव थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को डी-ब्लाक कट शास्त्रीनगर चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त दीपक से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मैं इसी मोटरसाईकिल से महेन्द्रा इन्कलेव की तरफ से आ रहा था। तभी एक कुल्फी बेचने वाला व्यक्ति रास्ते में फोन पर बात कर रहा था। मौका देखकर मैने उस व्यक्ति का मोबाईल फोन छीन कर भाग गया था और फिर मैने बेचने के लिए मोहित को यह मोबाईल दे दिया था। आज हम दोनो मोटरसाईकिल पर यह मोबाईल चलते फिरते आदमी को बेचने के लिए तथा रास्ते चलते व्यक्तियों से मोबाईल छीनने के लिए निकले थे।

बरामदगीः-

01 मोबाईल

01 मोटर साईकिल (स्पलेण्डर)

अभियुक्त का नाम पता-

1. दीपक पुत्र मुकेश नि0 एस-सी-23 संजय नगर फ्री हॉल थाना बापूधाम कमि0 गाजियाबाद , उम्र 25 वर्ष
2. मोहित कश्यप पुत्र जय भगवान नि0 जी-11 महेन्द्रा इन्कलेव थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मोहित कश्यप पुत्र जय भगवान पर गाजियाबाद में चोरी का 01, लूट का 01 व मारपीट का 01 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन व 01 ऑटो बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 20.06.2024 को वादी सुहास पुत्र श्री अशोक सचदेवा निवासी 601, तुलसीनिकेतन टीलामोड़ द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का ऑटो चोरी कर लिया गया है। तत्काल टीलामोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज के आधार पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 21.06.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1.आमिर पुत्र श्री सलीम निवासी F-1/473 सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र 27 वर्ष, 2.प्रीतम पुत्र कल्लु सिंह निवासी गली न0 14, कृष्णा विहार थाना लोनी

बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को कोयल एन्कलेव सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन व 01 ऑटो बरामद हुआ। अभियुक्तों उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि यह आटो हमने दिनांक 20.06.24 को तुलसीनिकेतन से चोरी किया था। तथा मोबाइल फोन रेडमी रंग डार्क ग्रे व दूसरा नोकिया की पैड रंग लाल डीएलएफ लोनी से चोरी किया था हम दोनों नशे के आदी है। नशे की पूर्ति व शौक मौज के लिए चोरी करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.आमिर पुत्र श्री सलीम निवासी F-1/473 सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र 27 वर्ष।

2.प्रीतम पुत्र कल्लु सिंह निवासी गली न0 14, कृष्णा विहार थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

- कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन व 01 ऑटों बरामद ।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

- अभियुक्त आमिर व प्रीतम उपरोक्त पर थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। व आमिर उपरोक्त पर थाना साहिबाबाद पर आर्म एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम

इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 21.06.2024 को वादी गौरव डबराल पुत्र श्री दिनेश डबराल निवासी न्यायखन्ड 2 इंदिरापुरम गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी व उनके पडोसी के घर के बाहर लगी पानी की मोटर दिनांक 19.06.2024 को चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 21.06.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त सलमान पुत्र शौकत अली निवासी 67 सी न्यायखन्ड 3 इंदिरापुरम उम्र 24 वर्ष को साई मंदिर चौराहे के पास जीडीए पार्क से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया की मैने 03 दिन पहले जनता फ्लैट न्यायखन्ड-2 मे से 2 मोटर चोरी की थी जिसमे से एक मोटर को चलते फिरते आदमी को अपनी मजबूरी बताकर 1000 रु मे बेच दी थी। जो मैने अपने शौक मौज मे खर्च कर दिये थे तथा आज दूसरी मोटर को बेचने के लिये आया हुआ था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः</u>

1- सलमान पुत्र शौकत अली निवासी 67 सी न्यायखन्ड 3 इन्दिरापुरम उम्र 24 वर्ष।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः</u>

➢ अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द थाना इंदिरापुरम पर चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

➢ चोरी की 01 मोटर बरामद।

- **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।